



पत्रांक:-36/3 निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०काई०-35

दिनांक: 26/05/19

विषय :-चतुर्थ श्रेणी (लिपिकीय संवर्ग) से तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता(वितरण)
गढ़वाल क्षेत्र, उपाकालि
120 हरिद्वार रोड
देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
कुमाऊँ क्षेत्र, उपाकालि
हल्द्वानी

कृपया उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग विनियमावली 1998 मा० उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश सं०-760 निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०जी० दि०-22.02.10 द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं०-162के०/रा०वि०प०(ख) 10के०/70 दि०-04.07.1970 में निहित प्राविधानानुसार चतुर्थ श्रेणी(लिपिकीय संवर्ग) से तृतीय श्रेणी(लिपिकीय) के पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर० पी० आर्य)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

पत्रांक:-.....निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०ई० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/मा०सं०/वित्त), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर- II), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सामग्री प्रबन्धन/विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत परीक्षण मण्डल/विद्युत कार्यमण्डल/विद्युत जानपद मण्डल उपाकालि.....
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि.....
7. कट फाईल/कार्यालय पंजिका।

(आर० पी० आर्य)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

- (1) विस्थापित सुनि का सूचना/सूचनाओं की गत्ती ।
 - (2) पुत्र तथा पुत्री (अविवाहित) ।
 - (3) पुत्र (विवाहित) ।
 - (4) पौत्र (पुत्र का पुत्र) ।
 - (5) पौत्री (पुत्र की पुत्री) (अविवाहित) ।
 - (6) यदि भूम्यामी के माता-पिता उस पर पूर्णतः आश्रित हैं और वे सेवा में रहने योग्य हैं तो परिवारिकता के अनुसार उनमें से किसी एक को नौकरों दिलाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है ।
2. आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय से आप अपने सम्बन्ध-सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते का कष्ट करें ताकि परिवर्ध में सेवायोजन के सम्बन्ध में कोई विसंगति उत्पन्न न हो ।

मोहन चन्द्र जोशी

भविष्य

वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिये वर्ग 3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गों पर वर्गों में आरक्षण ।

संख्या 162के०/रा०वि०प० (ख) 10के/70 दिनांक : जुलाई 4, 1970

उपरोक्त विषयक नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय भाग सं० 371/69-नियुक्ति (ख) दिनांक 1 जनवरी, 1970, को एक प्रति वार्षिकारित करते हुए मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि परिषद के उक्त कार्यालय भाग में उल्लिखित आदेशों को ग्रहण कर लिया है । आप से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यावाही करने की कृपा करें ।

2. इस प्रसंग में मुझे यह भी निवेदन करना है कि वर्ग 4 से 3 में पदोन्नति/नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वर्ग 4 से 3 में केवल वही कर्मचारी पदोन्नति/नियुक्ति किये जायें जो निम्नलिखित आदेशों को पूर्ण क्षमता से कर सकने में समर्थ हों ।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि उक्त आदेशों के आधार पर वर्ग 4 में 3 में की गई पदोन्नति/नियुक्ति के सम्बन्ध में क्षमारी (Half Yearly) रिपोर्ट वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई में परिषद श्री मेजने की ध्यायस्था सुनिश्चित करें ।

4. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों से आप अपने अधीन समस्त क्षेत्रीय एवं पञ्चतीय अधिकारियों को भी अवगत कराने की कृपा करें ।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति (ख) विभाग

संख्या 371/169-नियुक्ति (ख) लखनऊ : दिनांक 1 जनवरी, 1970

शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी कार्यालय में प्रत्येक वर्ष वर्ग 3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में होने वाली स्थान एवं एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलती रहने वाली अस्थाई रिक्तियों में वर्ग 4 के हाई स्कूल गुणवा उसके समकक्ष माध्यमा प्राप्त परीक्षा पास स्थाई कर्मचारियों के लिये, अनुरोध आगु 45 वर्ष से अधिक न हो पदोन्नति द्वारा दत्त प्रतिष्ठित आरक्षण भेदान किम्वद जायेगा । ऐसी पदोन्नति के निमित्त वर्ग 3 के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होगी हो उन्हीं कार्यालय में कर्म करने वाले वर्ग 4 के कर्मचारियों के माध्यम से विचार किया जायेगा । किन्तु यदि किसी जिले में कोई नया कार्यालय खोला जाय तो उस कार्यालय में वर्ग 3 के निम्नतम श्रेणी के 10 प्रतिशत पदों पर भर्ती के लिये उपर्युक्तलिखित शर्तों के अधीन वर्ग 4 के समी स्थायी कर्मचारियों के मामले में विचार किया जायेगा । रिक्तियों के कम होने की दशा में पदोन्नति का अन्त यह रहेगा कि प्रत्येक नियुक्तियों के बाद एक नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जायेगी ।

2. आरक्षित रिक्तियों के लिये चुनाव वेबला के बाजार पर एक साधारण परीक्षा लेकर तथा साक्षात्कार करके किया जायेगा । परीक्षा में केवल एक प्रश्न-पत्र होगा किन्तु दो-दो-सकल होंगे—एक किसी सरल विषय पर हिन्दी निबन्ध और दूसरा सामान्य ज्ञान । चुनाव के लिये कुल 50 बंके होंगे जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

(क) लिखित परीक्षा	30 अंक	(प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक)
(ख) समझना	10 अंक	
(ग) चरित्र पंजी	10 अंक	

कुल—50 अंक

जहाँ केवल टंकक (टाईपिस्ट) के सर्वनी में ही भर्ती का जानी हो, वहाँ पर टाईप की भी परीक्षा की जायेगी ।

(40)

C-47

अधिष्ठान सम्बन्धी नियम एवम् आदेश Establishment Rules and Orders

संघा सम्बन्धी सामान्य शर्तें General Conditions of Service

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालय)
विनियमावली, 1970 में निहित भर्ती के स्रोत से सम्बंधित विनियम 5 संशोधित

संख्या : 179-विनियम-23/पाकाति-2001-10 विनियम/86

दिनांक : 1-10-2001

कारपोरेशन के कार्यालय झाप सं०-4-विनियम-23/पीसीएल-2000-रेगु/2000, दिनांक 3-2-2000 द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धी विनियम बनाये जाने तक उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने कर्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तार हेतु बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेशों को कारपोरेशन के कर्मिकों पर आवायक परिवर्तनों सहित (Mutatis-Mutandis) लागू रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त आदेशों के अनुक्रम में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय झाप दिनांक 3-2-2000 के बिन्दु-5 में उल्लिखित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधिनस्थ कार्यालय) विनियमावली-1970 के सम्बन्ध में निर्गत पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञापित संख्या 531-विनियम-23/राविप-98-7 विनियम/88, दिनांक 22-12-98 के अनुक्रम में उक्त विनियमावली के विनियम-5 "भर्ती के स्रोत" में उल्लिखित खण्ड/मण्डल/मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में कार्यालय सहायक (श्रेणी-3) के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से होगी :-

कार्यालय सहायक (श्रेणी-3)

- (I) प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से — 80 प्रतिशत
- (II) चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के कर्मचारियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति निम्नवत् की जायेगी :-
 - (अ) चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं टंकण की योग्यता के साथ-साथ कम्प्यूटर भिन्न कर्मचारियों में से — 15 प्रतिशत
 - (ब) चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं टंकण की योग्यता के साथ-साथ कम्प्यूटर भिन्न कर्मचारियों में से — 5 प्रतिशत

3. उक्त विनियमावली के विनियम-5 "भर्ती के स्रोत" में उल्लिखित खण्ड/मण्डल/मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में "ट्रेसर" के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से होगी :-

ounts.

ट्रेसर

- (I) प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से — 80 प्रतिशत
- (II) चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के कर्मचारियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत् की जायेगी :-

[13]